प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.09.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु की चैन का टुकड़ा व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.09.2026 थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मै रात्री के समय गेटवे टावर सोसाइटी के बाहर खड़ी थी तभी अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मेरी सोने की चैन को छीन कर ले गया। तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा वादिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान आज दिनांक 27.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त शहजाद पुत्र मौ0 इस्लाम निवासी ई 6/28 गली नं0 3 सनलाईट कालोनी ओल्ड सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को एलीवेटेड के नीचे वाले कच्चे रोड की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक पीली धातु चैन का टुकडा व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद से पूछताछ करने पर बताया कि मुझसे बरामद चैन के टुकड़े को य दिनांक 23.09.2026 की रात्री में वैशाली सेक्टर 04 गेटवे टावर सोसाइटी के बाहर एक महिला से छीनी थी। जिसमें से आधी चैन मैंने नशे की हालत में राह चलते व्यक्ति को बेच दी थी और बेचने से प्राप्त रुपयों को अपने शौक-मौज में खर्च कर दिये। तथा मोटर साइकिल को मोती बाग दिल्ली से कुछ दिन पहले चोरी की थी। इसी मोटर साइकिल से में छिनैती/ लूट आदि की घटना करता हूँ जिससे मैं पकडा ना जा सकूं। आज दिनांक 27.09.2026 उक्त मोटर साइकिल व बचे हुये सोने के टुकड़े को बेचने की फिराक में एलीवेटेड के नीचे वाले कच्चे रोड पर घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शहजाद पुत्र मौ0 इस्लाम नि0 ई 6/28 गली न0 3 सनलाईट कालोनी ओल्ड सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से पीली धातु चैन का टुकड़ा व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद के विरूध्द थाना कौशाम्बी पर उक्त 01 अभियोग व दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकरी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घर मे घुसकर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 जोड़ी सफेद धातु बिछिया, 01 सफेद धातु सिक्का व 800 रुपये नगद बरामद।

दिनांक 24.09.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री सुशील कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राम शरण द्विवेदी निवासी म0नं0 54/एफ 2 वृन्दावन गार्डन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 22.09.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर में घुसकर अलमारी से सोने व चांदी के आभूषण व रुपये चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना साहिबाबाद पर धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दिनांक 26.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सचिन कश्यप पुत्र शिव कुमार कश्यप निवासी बबली का मकान कल्लन बस्ती त्यागी पेट्रोल पंप के पास छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष को अराधना रोड पर लोहिया पार्क साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 सफेद धातु बिछिया, 01 सफेद धातु सिक्का व 800 नगद बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कश्यप के विरुध्द पंजीकृत अभियोग में धारा 331(3), 317(2) की बढ़ौत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कश्यप से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 22.09.2026 को वृनदावन गार्डन में एक मकान में घुसकर अलमारी में रखे सोने व चांदी के आभूषण व रुपये चोरी किये थे। कुछ आभूषण को मैने राहे चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच दिया। मेरे पास से बरामद 02 सफेद धातु बिछिया, 01 सफेद धातु सिक्का व 800 रुपये चोरी के ही है। आभूषणों को बेचकर जो रुपये मिले थे उन्हे अपने शौक-मौज में खर्च कर दिया। दिनांक 26.09.2026 को मेरे पास जो आभूषण है उन्हे बेचने की फिराक में लोहिया पार्क के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन कश्यप पुत्र शिव कुमार कश्यप निवासी बबली का मकान कल्लन बस्ती त्यागी पेट्रोल पंप के पास छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 02 जोड़ी सफेद धातु बिछिया, 01 सफेद धातु सिक्का व 800 रुपये नगद बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन कश्यप के विरुध्द थाना साहिबाबाद पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

महिला सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी 24 थानों के पार्कों में विशेष सुरक्षा ऑडिट अभियान

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26.09.2026 को विशेष **सुरक्षा ऑडिट** अभियान चलाया गया।

इस अभियान के अंतर्गत कमिश्नरेट गाजियाबाद के **सभी 24 थानों** की **मिशन शक्ति टीम** एवं **एण्टी रोमियो टीम** द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में स्थित पार्कों का मौके पर जाकर **सुरक्षा ऑडिट** किया गया। अभियान का उद्देश्य पार्कों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान कर उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।

ऑडिट के दौरान मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं की जांच की गई—

- **CCTV कैमरों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता** – पार्कों में CCTV कैमरे लगे हैं अथवा नहीं तथा लगे हुए कैमरे कार्यशील स्थिति में हैं या नहीं।
- **प्रवेश एवं निकास व्यवस्था** – पार्कों में पर्याप्त एवं सुरक्षित Entry/Exit Gates उपलब्ध हैं अथवा नहीं तथा गेट पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है या नहीं।
- **Dark Spots की पहचान** – पार्क में ऐसे स्थान तो नहीं हैं जहां पर्याप्त प्रकाश न होने के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- **प्रकाश व्यवस्था** – पार्क के अंदर एवं प्रवेश/निकास मार्गों पर पर्याप्त एवं कार्यशील Lighting की व्यवस्था है या नहीं।

- **मोबाइल कनेक्टिविटी** – ऐसे पार्कों की पहचान की गई जहाँ मोबाइल नेटवर्क/कनेक्टिविटी कमजोर अथवा उपलब्ध नहीं है।
- **सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता** – पार्कों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं अथवा नहीं।
- अन्य सुरक्षा संबंधी कमियां – पार्क की समग्र सुरक्षा व्यवस्था का मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक कमियों को चिन्हित किया गया।

ऑडिट में सामने आई प्रमुख कमियां-

- अभियान के दौरान किए गए सुरक्षा ऑडिट में **कुल 34 पार्कों** में CCTV कैमरे कार्यशील नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त 10 पार्कों में निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जिसके कारण वहां फिलहाल उचित Entry/Exit Gates उपलब्ध नहीं हैं।
- कुछ पार्कों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति भी सामने आई। अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कमियों को भी चिह्नित किया गया।
- चिह्नित कमियों के संबंध में संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं सुधार के लिए सूचित किया गया है।

नियमित पेट्रोलिंग से होगी निगरानी-

महिला सुरक्षा ऑडिट को केवल एक दिवसीय अभियान तक सीमित न रखते हुए, मिशन शक्ति टीमों एवं एण्टी रोमियो टीमों द्वारा इन पार्कों में **नियमित भ्रमण एवं पेट्रोलिंग** की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखना तथा पार्कों में आने वाली महिलाओं को सुरक्षित एवं विश्वासपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है।

इसके साथ ही कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित **यूपी 112 वाहनों** के रूट चार्ट की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि सार्वजनिक पार्कों, बाजारों एवं अन्य चिह्नित संवेदनशील स्थानों को यूपी 112 वाहनों के **नियमित गश्ती मार्ग** में उचित रूप से शामिल किया गया है ताकि इन स्थानों पर प्रभावी एवं नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित हो सके। आवश्यकता के अनुसार रूट चार्ट में संशोधन एवं अतिरिक्त गश्त की व्यवस्था भी की गई है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों की निरंतर निगरानी, सुरक्षा कमियों की पहचान एवं उनके निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। एण्टी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति केन्द्रों एवं यूपी 112 वाहनों के माध्यम से प्रभावी पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित, भयमुक्त एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, संबंधित विभागों के समन्वय से सुरक्षा संबंधी कमियों को चिन्हित कर उनका शीघ्र निराकरण कराया जा रहा है।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.09.2026 वादी विकास पुत्र स्व0 कुवंर पाल सिंह निवासी मेहरौली कमि0 गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र हर्ष चौधरी को 8-10 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार हमला किया गया जिससे वादी के पुत्र को गंभीर चोट आने के संबध में थाना कविनगर पर तहरीर दी गई। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 27.09.2026 को अभियुक्त 1- फरहान चौधरी उर्फ बांडल पुत्र फजर मोहम्मद उर्फ फजरू नि ग्रा मिशलगढ़ी थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष, 2- मारुफ पुत्र मनीर मलिक निवासी ग्राम मिशलगढ़ी थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को गोविन्दपुरम बस अड्डे के पास चौकी गोविन्दपुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उस दिन हम लोग- सुमित व अपने अन्य साथियों के साथ, मारुफ और ओम के बीच स्कूल में पहले हुई लड़ाई का फैसला करने के लिये आये थे जंहा पर ओम व इनके अन्य साथी भी थे। किसी बात पर हम दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया, इसी बीच फरहान चौधरी उर्फ बांडल उपरोक ने चाकू निकाल कर ओम के साथ आये लड़के हर्ष के पेट के पास चाकू मार दिया था। फरहान चौधरी उर्फ बांडल से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कराने के लिये कहा तो उसने बताया कि मैंने उसे लड़ाई के बाद अपने घर मिशलगढ़ी जाते समय रास्ते में चौधरी चरण सिंह पार्क के बाहर रोड के किनारे नाले के पास फेक दिया था, जिसे मैं बरामद करवा सकता हूं।। फरहान चौधरी उर्फ बांडल उपरोक्त के बताये अनुसार चलकर गोविन्दपुरम बस अड्डे से चौधरी चरण सिंह पार्क के पास नाले किनारे पानी में डूबे एक चाकू यह कहते हुऐ कि यही वह चाकू है, जिससे मैंने दिनांक 24.09.26 को हर्ष के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला किया था और भागते समय सड़क पर फेक कर अपने घर भाग गया था।

<u>अभियुक्तों का नाम पता-</u>

1- फरहान चौधरी उर्फ बांडल पुत्र फजर मोहम्मद उर्फ फजरू निवासी ग्राम मिशलगढ़ी थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।
2- मारुफ पुत्र मनीर मलिक निवासी ग्राम मिशलगढ़ी थाना मसूरी, गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

पुलिस टीम थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 06 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी की घटनाओं से संबंधित पीली धातु (सोना) 14.250 ग्राम, सफेद धातु (चाँदी) की टिक्की 277 ग्राम तथा सफेद धातु (चाँदी) की चेन 74 ग्राम व मिश्रित धातु (ताँबा) का तार वजन 1 किलो 900 ग्राम व घटना में प्रयुक्त प्लास, लोहे की बारी व सिडांसी बरामद।

आज दिनांक 27.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बनाते हुए 06 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी की घटनाओं से संबंधित सामान पीली धातु (सोना) 14.250 ग्राम, सफेद धातु (चाँदी) की टिक्की 277 ग्राम तथा सफेद धातु (चाँदी) की चेन 74 ग्राम व मिश्रित धातु (ताँबा) का तार वजन 1 किलो 900 ग्राम व घटना में प्रयुक्त प्लास, लोहे की बारी व सिडांसी बरामद हुआ। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 317(2)/317(5)/ 310(4)/313 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारियों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सब मिलकर मौका पाकर रात में चोरी कर लेते है। हमसे जो चोरी का सामान बरामद हुआ है जिसमें से ताँबे का तार हमने कुछ समय पहले चोरी किया था तथा एक बाल अपचारी ने बताया कि मैंने एक जगह से चेन चोरी की थी तथा 02 बाल अपचारियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ब्रज विहार में एक घर से कुछ आभूषण चोरी किये थे जिसको हमने अपने पास छिपाकर रख लिया था।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की घटनाओं से संबंधित सामान पीली धातु(सोना) वजन 14.250 ग्राम, सफेद धातु की टिक्की (चाँदी) वजन 277 ग्राम, सफेद धातु (चाँदी) की चेन वजन 74 ग्राम व मिश्रित धातु (ताँबा) का तार वजन 1 किलो 900 ग्राम व घटना में प्रयुक्त प्लास, लोहे की बारी व सिडांसी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारियों के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया व पूर्व में भी थाना मुरादनगर पर 01 चोरी का अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.09.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.विनोद कुमार पुत्र जगरूप 2.संजय पुत्र जगरूप 3.योगेन्द्र पुत्र भवर सिंह 4. नितिन पुत्र संजय के द्वारा वादी के

घर में घुस कर वादी व वादी के परिजनों को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लोहे की रॉड व लाठी-डंडो से हमला करना जिसमें वादी के भाई ,माँ व पुत्री के गम्भीर चोटे आना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा- 109(1)/115(2)/333/117 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.09.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संजय पुत्र जगरूप निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने, मेरे बेटे व भाई द्वारा वादी के साथ घर के सामने रेम्प बनाने को लेकर चल रहे विवाद के कारण हमारे द्वारा घर में घुस कर मारपीट की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र जगरूप निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1.विनोद कुमार पुत्र जगरूप निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 46 वर्ष।
2.योगेन्द्र पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।
3. नितिन पुत्र संजय निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 03 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 26.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि 1. जमुना पत्नी नवल सिंह 2. राकेश पुत्र विष्णु 3. एक नाबालिग व अन्य अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र को चाकू मारकर घायल कर दिया गया जिसे हॉस्पीटल ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। दौराने विवेचना सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एवं चश्मदीद साक्षीगण के बयानों के आधार पर 03 बाल अपचारियों का घटना कारित करने में संलिप्त होना पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा 1. जमुना पत्नी नवल सिंह 2. राकेश पुत्र विष्णु एवं नामजद नाबालिग का घटना कारित करने में संलिप्त होना नहीं पाया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने में संलिप्त 03 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

बाल अपचारियों ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी के पुत्र से रास्ते में जाते समय हमारी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी जिसके बाद एक बाल अपचारी को क्रोध आ गया जिसने क्रोध में आकर वादी के पुत्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया तथा लोगों को आता देख हम मौका देखकर भाग गये थे। बाद में हमें पता चला कि उसकी मृत्यु हो गयी है।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

बाल अपचारियों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।